रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22092025-266302
CG-DL-E-22092025-266302

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4133] नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 22, 2025/भाद्र 31, 1947
No. 4133] NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 22, 2025/BHADRA 31, 1947

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2025

का.आ. 4251(अ).—केन्द्रीय सरकार, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (46) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए 'रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण' राजस्थान, जयपुर (पैन AAAGR0430E) राजस्थान राज्य सरकार द्वारा गठित एक प्राधिकरण, को उत्पन्न होने वाली निम्नलिखित विनिर्दिष्ट आय के संबंध में अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

(क) सरकार से अनुदान सहायता या ऋण/अग्रिम के रूप में प्राप्त राशि;

(ख) 'रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016' (2016 की संख्या 16) के प्रावधानों के अनुसार प्राप्त शुल्क/जुर्माना;

(ग) उपरोक्त (क) और (ख) पर अर्जित ब्याज

2. यह अधिसूचना इन शर्तों के अधीन प्रभावी होगी कि रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण' जयपुर, राजस्थान -

(क) किसी भी वाणिज्यिक गतिविधि में संलग्न नहीं होगा;

(ख) गतिविधियां और निर्दिष्ट आय की प्रकृति पूरे वित्तीय वर्ष में अपरिवर्तित रहेगी; और

(ग) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139 की उपधारा (4ग) के खंड (छ) के प्रावधान के अनुसार आयकर रिटर्न दाखिल करेगा।

3. यह अधिसूचना वित्तीय वर्ष 2022-2023 से 2024-2025 के लिए संबंधित कर निर्धारण वर्ष 2023-2024 से 2025-2026 के लिए लागू मानी जाएगी और वित्तीय वर्ष 2025-2026 से 2026-2027 के लिए संबंधित कर निर्धारण वर्ष 2026-2027 से 2027-2028 के लिए लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 148 /2025/फा. सं. 300196/41/2025-आईटीए-I]

मीनाक्षी सिंह, उप सचिव

व्याख्यात्मक ज्ञापन

यह प्रमाणित किया जाता है कि इस अधिसूचना को पूर्वव्यापी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2025

S.O. 4251(E).—In exercise of the powers conferred by clause (46) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Government hereby notifies for the purposes of the said clause, 'Real Estate Regulatory Authority' Rajasthan, Jaipur (PAN: AAAGR0430E) an Authority constituted by the Rajasthan State Government, in respect of the following specified income arising to that Authority, namely: -

(a) Amount received as Grant-in-aid or loan/advance from Government;

(b) Fee/penalty received as per the provisions of 'The Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016' (No. 16 of 2016);

(c) Interest earned on (a) & (b) above

2. This notification shall be effective subject to the conditions that 'Real Estate Regulatory Authority' Jaipur, Rajasthan -

(a) shall not engage in any commercial activity;

(b) activities and the nature of the specified income shall remain unchanged throughout the financial years; and

(c) shall file return of income in accordance with the provision of clause (g) of sub-section (4C) of section 139 of the Income-tax Act, 1961.

3. This notification shall be deemed to have been applied for assessment years 2023-2024 to 2025-2026 relevant for the financial years 2022-2023 to 2024-2025 and shall be applicable for assessment year 2026-2027 to 2027-2028 relevant for the financial year 2025-2026 to 2026-2027.

[Notification No. 148 /2025/F. No. 300196/41/2025-ITA-I]

MEENAKSHI SINGH, Dy. Secy.

Explanatory Memorandum

It is certified that no person is being adversely affected by giving retrospective effect to this notification.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA